

25/3/26

पञ्जावली पेश हुई।
बार बीच, सातवू ने कार्य स्थगित रखा है।
मिसल दिनांक 24/6/26 का पेश किया।

04/5/26

प्राची जारिये अधिवक्ता उपर आया। प्राची
ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर पञ्जावली
आज तारीख पेशी पर लिखा जका
पक्षकारों के मध्य राजीनामा हो
जाने से जारिये विहील खारिज
किये जाने का निवेदन किया।
प्राची की इस्तदुका स्वीकार की
आकर प्रार्थना पत्र अधीन धारा
212 शाका अधिनियम 1955 का
जारिये विहील खारिज किया
जाना है।

सजय कुमार

उ०,

अधिवक्ता

पञ्जावली मिठिय नभर से
होकर बाद जलपा कार्यवाही
कारिवला हो।


04/5/26